पत्रांक – वि॰प्रा॰(III) नया पो॰ सं॰–16 / 2009–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

2001
28/1/20

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक), बिहार
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक–

विषय – नवादा जिलान्तर्गत नरहट में राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू॰ 36.35 करोड़ (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र का पुनरीक्षित योजना लागत रू॰ 45.1595 करोड़ (पैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख पंचानवे हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सात निश्चय कार्यक्रम के तहत नवादा जिलान्तर्गत नरहट में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2305, दिनांक 02.09.2016 के द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा की स्थापना की स्वीकृति एवं संस्थान में भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू॰ 36.35 करोड़ (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10107(भ), दिनांक 19.11.2019 के आलोक में उक्त संस्थान के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू॰ 36.35 करोड़ (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र का पुनरीक्षित योजना लागत रू॰ 45.1595 करोड़ (पैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख पंचानवे हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त स्वीकृत राशि का वहन राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष – 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष– 104– बहुशिल्प, मांग संख्या–03, उपशीर्ष–0108– पोलिटेकनिक भवन (निश्चय)" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 03--4202021040108 है।

4. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, नवादा को प्रदान किया जायेगा।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा होगें।

6. आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, नवादा से की जायेगी।

7. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित समय अवधि के अनुसार कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 27.12.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–11 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) नया पो॰ सं॰–16 / 2009– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) नया पो॰ सं॰–16 / 2009– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) नया पो॰ सं॰–16 / 2009– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 27.12.2019 में मद संख्या– 11 में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) नया पो॰ सं॰–16 / 2009– 278 /पटना, दिनांक– 27.1.20

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव / अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव / मुख्य अभियंता (निरूपण) / मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.20
सरकार के उप सचिव

(1)